अध्याय - 16

गरीबी, भारत के समक्ष एक आर्थिक चुनौती

हम पढ़ेंगे

16.1 गरीबी से आशय।
16.2 भारत में गरीबी की माप।
16.3 राज्यवार गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या।
16.4 निर्धनता के कारण।
16.5 भारत में गरीबी निवारण के प्रमुख कार्यक्रम।

भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विशेषकर नियोजन काल में भारतीय अर्थव्यस्था के विविध क्षेत्रों में मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार हुआ हैं। परिणामत: भारतीय अर्थव्यवस्था की गणना, आज विश्व की प्रमुख शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं में होने लगी है। अर्थव्यवस्था के विकास से जहाँ एक ओर आर्थिक विकास की उच्च दिशायें प्राप्त हुई हैं, वहीं दूसरी ओर कई चुनौतियाँ भी उत्पन्न हुई हैं जैसे- गरीबी, तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या, व्यापक बेरोजगारी, तेजी से बढ़ती हुई कीमतें अर्थात् महंगाई की समस्या, क्षेत्रीय असंतुलन एवं बढ़ती हुई आर्थिक असमानताएँ, बुनियादी सुविधाओं की कमी तथा खाद्यान्न असुरक्षा आदि। इन सभी आर्थिक चुनौतियों में सबसे गंभीर है, गरीबी की समस्या जिसकी विस्तृत विवेचना हम इस अध्याय में करेंगे।

16.1 गरीबी से आशय

धन का अभाव गरीबी को जन्म देता है। केवल कुछ व्यक्तियों की निम्न आर्थिक स्थिति ही गरीबी को जन्म नहीं देती है, बल्कि किसी समाज में व्यक्तियों का बहुत बड़ा भाग जब जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहता है तब इस स्थिति को 'गरीबी' के नाम से जाना जाता है। तात्पर्य यह है कि यदि किसी समाज में अधिकांश व्यक्तियों को रहने, खाने और पहनने की अति आवश्यक सुविधायें उपलब्ध न हों तो हम ऐसी स्थिति को 'गरीबी' के नाम से जानते है।

गरीबी की पहचान तो बहुत सरल है, किन्तु इसको परिभाषित करना थोड़ा मुश्किल है। जब हम अपने आस-पास टूटे झोपड़ों एवं झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों, रेलवे स्टेशनों और चौराहों पर भीख मांगते भिखारियों, खेतों में काम करने वाले मजदूरों को देखते हैं तो उनके अभावग्रस्त जीवन को देखकर गरीबी को पहचान सकते हैं। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्ति 'गरीबी' की परिभाषा में आते हैं। 'गरीबी रेखा' से आशय नागरिकों के उस न्यूनतम आर्थिक स्तर से है जो उनके जीवन निर्वाह के लिये आवश्यक होता है।

16.2 भारत में गरीबी की माप

सामान्यत: गरीबी को मापने के लिये दो मानदण्डों का प्रयोग किया जाता है। प्रथम, निरपेक्ष गरीबी, द्वितीय सापेक्ष गरीबी ।

निरपेक्ष गरीबी : निरपेक्ष गरीबी से अभिप्राय मानव की मूलभूत आवश्यकताओं (भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य सुविधा आदि) की पूर्ति हेतु पर्याप्त वस्तुओं एवं सेवाओं को जुटा पाने में असमर्थता से है। इसमें वे सभी व्यक्ति सम्मिलित किए जाते हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करते हैं।

सापेक्ष गरीबी : सापेक्ष गरीबी से अभिप्राय आय की असमानताओं से है। सापेक्ष गरीबी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक असमानता अथवा क्षेत्रीय आर्थिक असमानताओं का बोध कराती है। इसका आकलन समय-समय पर भारतवर्ष में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या का राष्ट्रीय सर्वेक्षण संगठन (एन. एस. एस. ओ.) द्वारा करवाया जाता है।

16.3 राज्यवार गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या

भारत में गतवर्षों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या में निरन्तर कमी आई है। वर्ष 1973-1974 में 54.9 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे थे। वर्ष 1983 में गरीबी दर घटकर 44.7 प्रतिशत तथा पुन: 1993-94 में 36 प्रतिशत एवं 1999-2000 में देश में गरीबी की दर 26.10 प्रतिशत हो गयी। वर्ष 2006-07 में गरीबों की संख्या 22.01 करोड़ अर्थात् 19.3 रह जाने का अनुमान है।

गरीबी रेखा

योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ दल "Task force on minimum Needs and Effective Consumption Demand" के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2,400 कैलोरी प्रति दिन तथा शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2,100 कैलोरी प्रतिदिन का पोषण प्राप्त न करने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। 'गरीबी रेखा' का विचार सर्वप्रथम भारतीय अर्थशास्त्री श्री दाण्डेकर ने दिया था।

भारत में गरीबी-रेखा के नीचे की जनसंख्या
(प्रतिशत में)

क्षेत्र	1993-94	1999-2000	2006-07
ग्रामीण	37.3	27.1	21.1
शहरी	33.4	23.6	15.1
कुल प्रतिशत	36.0	26.1	19.3

स्रोत : भारतीय अर्थव्यवस्था रिपोर्ट, 2006

केद्रीय ग्रामीण विकास मन्त्रालय के अनुसार गरीबी रेखा से आशय ऐसे परिवार से है, जिसकी वार्षिक आय, विभिन्न राज्यों में 13,900 रू. से 16,900 रू. वार्षिक तक है। यह आय पांच व्यक्तियों के औसत परिवार के लिए है। प्रत्येक राज्य गरीबी रेखा की अलग सीमा तय कर सकता है। भारत में लगभग 22 करोड़ अर्थात् 19.3% लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करते हैं, लेकिन तालिका को देखने से पता चलता है कि भारत में गरीबी का प्रतिशत निरन्तर घटता जा रहा है।

भारत में विभिन्न राज्यों में गरीबी की व्यापकता समान नहीं है। योजना आयोग द्वारा सितम्बर 2005 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे गरीब जिला डांग (गुजरात) है। दूसरे स्थान पर राजस्थान का बाँसवाड़ा जिला व तीसरे स्थान पर मध्यप्रदेश का झाबुआ जिला है। भिन्न-भिन्न राज्यों में गरीबी की 2006-07 की अनुमानित स्थिति को तालिका में दर्शाया गया है। **तालिका के अनुसार भारत में बिहार, उड़ीसा व सिक्किम राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या सबसे अधिक है।**

भारत में राज्यवार गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	2006 अनुमानित	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	2006
उड़ीसा	41.04	आन्ध्रप्रदेश	8.49
बिहार	43.18	लक्षद्वीप	4.59
मध्यप्रदेश	29.52	राजस्थान	12.11
सिक्किम	33.78	गुजरात	2.00
असम	31.33	केरल	3.61
त्रिपुरा	31.88	हरियाणा	2.00
मेघालय	31.14	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	2.00

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	2006 अनुमानित	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	2006
अरूणाचल प्रदेश	29.33	हिमाचल प्रदेश	2.00
नागालैण्ड	31.86	पंजाब	2.00
उत्तरप्रदेश	24.67	चण्डीगढ़	2.00
मणिपुर	30.52	दमनदीव	2.00
पश्चिम बंगाल	18.30	गोवा	2.00
महाराष्ट्र	16.18	जम्मू कश्मीर	N.A.
पाण्डिचेरी	32.00		
तमिलनाडु	6.61		
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	5.82		
कर्नाटक	7.85		
मिजोरम	20.76		
दादर नगर हवेली	2.00		

स्रोत : भारतीय अर्थव्यवस्था, 2006 (वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत)

भारत एक धनी देश है, किन्तु यहां के निवासी निर्धन हैं

भारत के संदर्भ में प्राय: यह कहा जाता है कि भारत एक धनी देश है किन्तु इसके निवासी निर्धन हैं। यह कथन विरोधाभासी है। कथन के पहले भाग के अनुसार भारत एक धन सम्पन्न राष्ट्र है तथा दूसरे भाग के अनुसार भारतवासी निर्धन हैं। ये विरोधाभास किस प्रकार एक सत्य तथ्य है इसे हम एक-एक करके समझ सकते हैं।

भारत एक धनी देश है

प्राचीन समय से ही भारत भौगोलिक एवं सांस्कृतिक रूप से एक धनी देश माना जाता है। यहाँ विकास के लिए संसाधनों का बाहुल्य है। भारत का क्षेत्रफल विस्तृत है, प्राकृतिक बनावट अच्छी है, जलवायु भी अनुकूल है, वन सम्पदा पर्याप्त मात्रा में है, शक्ति के लिए आवश्यक साधन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं तथा श्रम शक्ति भी पर्याप्त है। भारत को धनी देश कहने के मुख्य आधार निम्नलिखित हैं-

1. **भौगोलिक स्थिति** - भारत की भौगोलिक स्थिति विकास की दृष्टि से अनुकूल है। उत्तर में हिमालय सजग प्रहरी के रूप में विद्यमान है। देश की प्रायद्वीपीय एवं हिन्द महासागर में स्थिति भारत को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों से जोड़ती है। हवाई मार्ग की दृष्टि से भी इसकी स्थिति अच्छी है। इस प्रकार भारत की भौगोलिक स्थिति आर्थिक विकास एवं विदेशी व्यापार के लिए बहुत उपयुक्त है।

2. **मानसूनी जलवायु**- भारत में मानसूनी जलवायु दशाएँ पायी जाती हैं जिसके फलस्वरूप देश में विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पादन किये जाते हैं। इससे हमारे देश के उद्योगों को भरपूर कच्चा माल मिलता है। विविध जलवायु दशाओं के कारण ही हम विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न तथा नकद फसलें पैदा कर सकते हैं।

3. **अपार जलशक्ति**- हिमालय से निकलने वाली सतत्वाहिनी नदियों से वर्ष भर पानी मिलता है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए इन नदियों का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है।आज हम इस जलशक्ति से सिंचाई करते हैं और हजारों किलोवाट बिजली पैदा करते हैं लेकिन आज भी हम इनका पूर्ण उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।

4. **वन सम्पदा–** भारत के कुल क्षेत्रफल का 19.39 प्रतिशत वन क्षेत्र हैं। वनों से हमें ईंधन, तेल, गोंद, इमारती लकड़ी, कत्था, लाख, चमड़ा रंगने के पदार्थ प्राप्त होते हैं। यदि भारतीय वन सम्पदा का कुशलता से दोहन किया जाय तो यह देश के विकास हेतु अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकती है।

5. **शक्ति के साधन व खनिजों की प्रचुर उपलब्धता–** खनिज एवं शक्ति के साधनों की दृष्टिसे भारत एक धनी देश है। लोहे का भण्डार विश्व के कुल भण्डार का एक चौथाई है। अभ्रक व मैंगनीज उत्पादन में भी भारत आगे है। कोयला, बॉक्साइट, जिप्सम के भण्डार भी प्रचुर मात्रा में हैं। अणु शक्ति उत्पन्न करने के लिए आवश्यक पदार्थ थोरियम, यूरेनियम आदि का पर्याप्त भण्डार है।

6. **जनशक्ति–** भारत की लगभग 110 करोड़ जनसंख्या किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम है। अगर इस जनशक्ति का योजनाबद्ध उपयोग किया जाय तो देश के विकास में तेजी ला सकते हैं।

उपरोक्त संसाधनों से धनी होने के बावजूद भी भारत के निवासी निर्धन हैं।

16.4 भारत में निर्धनता के कारण

भारत में गरीबी के लिये उत्तरदायी प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं –

1. **दोषपूर्ण विकास रणनीति :** भारत में विकास के साथ गरीबी का विरोधाभास देखने में आता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के विकास का लाभ कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित हो गया है। परिणामस्वरूप गरीब और गरीब हो रहा है और अमीर और अधिक अमीर हो रहे हैं। शिक्षित व सुविधा सम्पन्न व्यक्तियों के पास आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध है जबकि धनाभाव के कारण गरीब व्यक्ति उच्च व तकनीकी शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। शासन द्वारा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए है लेकिन रोजगार के अवसरों में बहुत ही धीमी वृद्धि हुई है।

2. **बेरोजगारी :** भारत में व्यापक बेरोजगारी है। एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 5 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। बेरोजगारों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है जो गरीबी के लिए उत्तरदायी कारक है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और अल्प रोजगार के साथ ही अदृश्य बेरोजगारी भी विद्यमान है। बेरोजगारों की बढ़ती संख्या प्रति व्यक्ति उत्पादकता एवं आय के स्तर को कम करती है।

3. **प्रति व्यक्ति निम्न आय :** भारत में प्रति व्यक्ति आय कम होने से यहाँ गरीबी व्याप्त है। विश्व के विकसित राष्ट्रों की तुलना में भारत में प्रतिव्यक्ति आय का स्तर बहुत कम है। विश्व बैंक की वर्ष 2004 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय मात्र 480 डालर (लगभग 24,000/–) है। प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर गरीबी का एक मुख्य कारण है।

गरीबी के कारण निर्धनता का दुष्चक्र चलता है और निर्धनता बढ़ती जाती है।

प्रति व्यक्ति कम आय होने से बचत कम व माँग कम हो जाती है इसके परिणामस्वरूप पूंजी निर्माण भी कम होता है, इससे उत्पादन और उत्पादन से रोजगार व रोजगार से आय कम होती है। इस प्रकार निर्धनता बढ़ती चली जाती है।

निर्धनता का दुष्चक्र

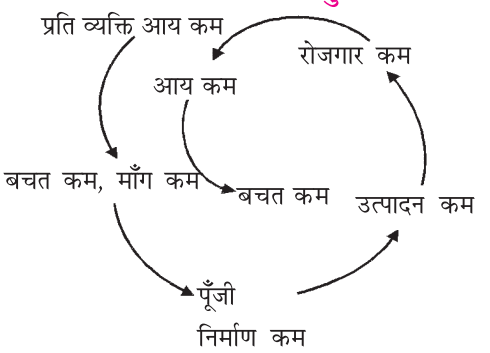

4. **तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या :** भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। भारत की जनसंख्या में लगभग 1.81 करोड़ व्यक्ति प्रतिवर्ष जुड़ जाते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1991–2001 दशक के दौरान 1.93 प्रतिशत रही है। इससे प्रति व्यक्ति आय और उपभोग कम हो जाता है, जीवन स्तर में कमी आती है और गरीबी को बढ़ावा मिलता है।

5. **प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग :** भारत में खनिज, वन सम्पदा, व जनशक्ति आदि साधन पर्याप्त मात्रा में हैं। लेकिन इनका अभी तक उपयुक्त ढंग से उपयोग नहीं हो सका है। प्राकृतिक संसाधनों का अल्प विदोहन भी गरीबी का एक कारण है।

6. **मुद्रा प्रसार और मूल्य वृद्धि :** भारत में बढ़ते विकास कार्यों को पूरा करने के लिये भारी मात्रा में धन व्यय किया जाता है। इससे अर्थव्यवस्था में स्फीतिकारी दबाव पैदा होते हैं और कीमतों में वृद्धि हो जाती है। परिणामस्वरूप गरीबी की समस्या और भी गंभीर हो जाती है।

7. **तकनीकी ज्ञान का निम्न स्तर :** भारत में शिक्षा, तकनीकी एवं अनुसंधान आदि सुविधाओं का अभाव है। भारत की लगभग 36 प्रतिशत जनसंख्या निरक्षर है। तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण की सुविधाओं के अभाव के कारण उत्पादकता में कमी आती है।

8. **निम्न उत्पादकता :** भारत में उत्पादकता का स्तर निम्न है, जिससे संसाधनों से उचित प्रतिफल प्राप्त हो नहीं पाते हैं तथा नागरिक गरीब रह जाते हैं। विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में निम्न उत्पादकता ग्रामीण गरीबी का एक मुख्य कारण है।

9. **कृषि में अनिश्चितता :** भारत वर्ष में अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि पर आधारित है। कृषि में मानसून की अनिश्चितता रहती है जिससे उत्पादन में उतार–चढ़ाव होते रहते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के कारण कृषि उत्पादन विपरीत रूप से प्रभावित होता रहता है जो कि गरीबी का कारण बनता है।

10. **परिवहन एवं संचार साधनों का अभाव :** भारत में परिवहन एवं संचार साधनों का पूर्ण विकास न हो पाने के कारण कृषि, उद्योग व सेवा क्षेत्र का तीव्र विकास नहीं हो पा रहा है।

11. **सामाजिक कारण :** भारत में प्रचलित सामाजिक एवं सांस्कृतिक परम्पराओं के कारण लोग अपनी आय का एक बड़ा भाग विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों पर व्यय कर देते हैं, जिससे एक ओर बचत में कमी आती है व दूसरी ओर ऋणग्रस्तता बढ़ती है। इसके अलावा अज्ञानता, भाग्यवादिता, रूढ़िवादिता भी भारत में गरीबी में वृद्धि के कारण हैं।

यहाँ यह प्रश्न विचारणीय है कि पर्याप्त प्राकृतिक सम्पदा सम्पन्न राष्ट्र होते हुए भी भारत एक निर्धन राष्ट्र है और भारतवासी गरीबी एवं बेरोजगारी का जीवन–यापन कर रहे हैं। भारत में सम्पन्नता के साधन तो हैं किन्तु सम्पन्नता के इन साधनों का उचित विदोहन न होने के कारण भारतीय निवासी निर्धनता में जीवन–यापन कर रहे हैं।

16.5 भारत में गरीबी निवारण के प्रमुख कार्यक्रम

भारत में गरीबी की समस्या के समाधान के प्रति भारतीय योजनाकार शुरू से ही चिन्तित रहे हैं। इस दिशा में जहां एक ओर आर्थिक संमृद्धि को बढ़ाने का प्रयास किया गया है वहीं दूसरी ओर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को अपनाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आवश्यकतायें पूरी करने के लिये सरकार ने अनेक परियोजनाएँ शुरू की हैं। गरीबी निवारण के प्रमुख कार्यक्रम निम्नलिखित हैं–

1. **स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना :** 1 अप्रैल 1999 से आरंभ की गई इस योजना का उददेश्य गरीब परिवारों को बैंक ऋण एवं सरकारी अनुदान के माध्यम से स्वसहायता समूहों के रूप में संगठित कर तीन

वर्षों की अवधि में गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। इस कार्यक्रम में ग्रामीण निर्धनों के लिये पर्याप्त अतिरिक्त आमदनी जुटाने का लक्ष्य भी रखा गया है। यह जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

2. **स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना :** 11 दिसम्बर 1997 को यह योजना शहरी क्षेत्रों में गरीबी निवारण के लिये प्रारंभ की गई। योजना का उद्देश्य शहरी गरीबों को स्वरोजगार उपक्रम स्थापित करने के लिये वित्तीय सहायता देना है, तथा सवेतन रोजगार सृजन करने के लिये उत्पादन परिसम्पत्तियों का निर्माण करना है।

3. **प्रधानमंत्री रोजगार योजना :** यह योजना 2 अक्टूबर 1993 से प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों तथा छोटे शहरों के 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।

4. **ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम :** अप्रैल 1995 में यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों तथा छोटे कस्बों में परियोजनाएँ लगाने और रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिये आरंभ की गई।

5. **अन्नपूर्णा योजना :** 1 अप्रैल 2000 से यह योजना प्रारम्भ की गई। योजना का उद्देश्य 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के उन लोगों को खाद्यान्न-सुरक्षा प्रदान कराना है, जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त करने के पात्र थे, परन्तु उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति 10 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह मुफ्त दिया जाता है। वर्ष 2002-03 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को इस योजना में मिला दिया गया।

6. **जनश्री योजना :** गरीब वर्ग को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अगस्त 2000 में इस योजना को प्रारम्भ किया गया। योजना में लाभार्थी को स्वाभाविक मृत्यु की दशा में रूपये 20,000, दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर रूपये 50,000 तथा आंशिक विकलांगता पर 25,000 रुपये दिये जाते हैं।

7. **सम्पूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना :** यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न सुरक्षा के साथ-साथ रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रारम्भ की गई। योजना में काम में लगे मजदूरों को दैनिक मजदूरी के रूप में न्यूनतम 5 किलो अनाज और न्यूनतम 20 प्रतिशत मजदूरी नकद दी जाती है। योजना का लक्ष्य समाज के कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना है।

8. **ग्रामीण समृद्धि योजना :** इस योजना को प्रारम्भ करने की घोषणा मार्च, 1999 में की गई। वर्तमान में प्रचलित जवाहर रोजगार योजना को इस प्रकार परिवर्तित किया जायेगा कि सभी कोष ग्राम पंचायत के हाथ में व्यय करने के लिए हो, जिससे वे ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में उसका उपयोग कर सकें । पंचायतों के पास यह अधिकार होगा कि वे कार्य के संबंध में वार्षिक योजनाएँ बनाएँ तथा उन्हें क्रियान्वित करें।

9. **अन्त्योदय अन्न योजना :** 25 दिसम्बर, 2001 से शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शामिल गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। इस योजना में देश के 1.50 करोड़ गरीब परिवारों को प्रति माह 35 किलोग्राम अनाज विशेष रियायती कीमत पर उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के अंतर्गत जारी किये जाने वाले गेहूँ एवं चावल का केन्द्रीय निर्गम मूल्य क्रमशः 2 रुपये तथा 3 रुपये प्रति किलोग्राम है।

10. **महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (2005) :** इसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रम के अधीन हर वर्ष प्रत्येक ग्रामीण, शहरी गरीब तथा निम्न मध्यम वर्ग के परिवार के एक वयस्क व्यक्ति को कम से कम 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत माँग करने पर 15 दिन के अन्दर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य है। यदि निश्चित समय में काम उपलब्ध नहीं कराया जायेगा, तो सम्बन्धित व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। भत्ता न्यूनतम मजदूरी का कम से कम एक तिहाई होगा। 2 फरवरी 2006 को देश के सर्वाधिक पिछड़े 200 जिलों में इसे लागू कर दिया गया है।

शब्दावली

अदृश्य बेरोजगारी : कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली यह बेरोजगारी उस स्थिति का सूचक है जब श्रमिकों की सीमान्त उत्पादकता शून्य होती है, अर्थात् इन व्यक्तियों को कृषि क्षेत्रों से हटाकर अन्यत्र भेजे जाने पर कृषि क्षेत्र की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता।

अल्प रोजगार : जब व्यक्ति अपनी कार्यक्षमता के अनुसार कार्य न पाकर अपनी योग्यता एवं क्षमता से कम स्तर वाला कार्य करता है, तब अल्प रोजगार की श्रेणी में आता है।

प्रति व्यक्ति आय : जो कि किसी व्यक्ति के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में औसत आय के रूप में प्राप्त की जाती है।

चक्रीय बेरोजगारी : व्यापार चक्र की मन्दी के समय उत्पन्न बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है।

मुद्रा प्रसार : मुद्रा प्रसार या मुद्रा स्फीति वह अवस्था है, जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं।

मूल्य वृद्धि : किसी फर्म के उत्पादन के मूल्य तथा अन्य फर्मों में खरीदे गए आदानों की लागत का अन्तर।

प्राकृतिक संसाधन : प्रकृति द्वारा मनुष्य को प्रदान किये गये वे नि:शुल्क उपहार जो आर्थिक विकास में सहायक होते हैं।

अभ्यास

सही विकल्प चुनकर लिखिए-

1. आय स्तर की तुलना का आधार निर्धारण होता है-
   (i) निरपेक्ष गरीबी (ii) सापेक्ष गरीबी
   (iii) पूर्ण गरीबी (iv) इनमें से कोई नहीं।
2. भारत में सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाला राज्य है-
   (i) मेघालय (ii) असम
   (iii) बिहार (iv) मध्यप्रदेश
3. रोजगार गारन्टी कानून (2005) में कम से कम कितने दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है?
   (i) 25 दिन (ii) 50 दिन
   (iii) 75 दिन (iv) 100 दिन

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. एक व्यक्ति द्वारा एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त औसत आय ..... आय कहलाती है।
2. ..... गरीबी से अभिप्राय आय की असमानता से है।
3. भारतीय अर्थशास्त्री दाण्डेकर ने सर्वप्रथम .....का विचार दिया।
4. मध्यप्रदेश का सबसे गरीब जिला ..... है।

5. भारत में गरीबी मापने हेतु सापेक्ष और ..... गरीबी है।

सत्य/असत्य बताइए

1. जनसंख्या वृद्धि गरीबी को बढ़ाती है।
2. भारत का सबसे गरीब राज्य पंजाब है।
3. रोजगार गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत 5 किलो अनाज एवं न्यूनतम 20 प्रतिशत मजदूरी दी जाती है।
4. भारत में शहरी क्षेत्र में 2,100 कैलोरी प्रतिदिन का पोषण प्राप्त न करने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है।
5. 2005 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे गरीब जिला झाबुआ मध्यप्रदेश है।

अतिलघुत्तरीय प्रश्न :

1. भारत के समक्ष उपस्थित प्रमुख आर्थिक समस्यायें कौन-कौन सी है?
2. गरीबी की रेखा से क्या आशय है?
3. भारत में सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाले तीन राज्यों के नाम लिखिए।
4. गरीबी के लिए उत्तरदायी सामाजिक कारण लिखिए।

लघुत्तरीय प्रश्न :

1. जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार गरीबी को बढ़ाती है, समझाइये।
2. विगत् वर्षों में भारत में गरीबी की स्थिति में क्या परिवर्तन आया है? लिखिए।
3. भारत में राज्यवार गरीबी की क्या स्थिति हैं? समझाइये।
4. रोजगार गारन्टी कार्यक्रम 2005 की प्रमुख विशेषतायें बताइये।
5. गरीबी को मापने हेतु कौन से मानदण्ड हैं? बताइये।

दीर्घउत्तरीय प्रश्न :

1. भारत में गरीबी के लिए उत्तरदायी कारण कौन से है?
2. भारत में गरीबी निवारण के प्रमुख कार्यक्रमों को संक्षेप में लिखिए।
3. भारत एक सम्पन्न देश है किन्तु इसके निवासी निर्धन हैं? इस कथन को समझाइये।

❖❖ ★★ ❖❖

अध्याय - 17

भारत में उद्योगों की स्थिति

हम पढ़ेंगे

- 17.1 उद्योग से आशय।
- 17.2 उद्योगों का वर्गीकरण।
- 17.3 भारत में वृहद, लघु, कुटीर उद्योगों की स्थिति।
- 17.4 भारत में लघु एवं कुटीर उद्योगों का महत्व।
- 17.5 लघु उद्योगों के विकास के लिए किए गये सरकारी प्रयास।

17.1 उद्योगों से आशय

किसी देश के आर्थिक विकास में उद्योगों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। उद्योग देश के तीव्र आर्थिक विकास में सहायक होते हैं। उद्योगों के विकास के बिना कोई देश समृद्ध नही हो सकता।

जब किसी एक जैसी वस्तु या सेवा का उत्पादन अनेक फर्मों के द्वारा किया जाता है तब ये सभी फर्म मिलकर **उद्योग** कहलाते हैं। **जैसे**- लोहा इस्पात उद्योग के अंतर्गत राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो तथा टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी सभी सम्मिलित हैं।

'उद्योग' की परिधि में वे समस्त उपक्रम आते हैं जिनमें नियोजकों एवम् नियोजितों के सहयोग से मानवीय आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं की सन्तुष्टि के लिये एक व्यवस्थित गतिविधि के रूप में वस्तुओं अथवा सेवाओं के उत्पादन का कार्य सम्पन्न किया जाता है।

17.2 उद्योगों का वर्गीकरण -

उद्योगों का वर्गीकरण

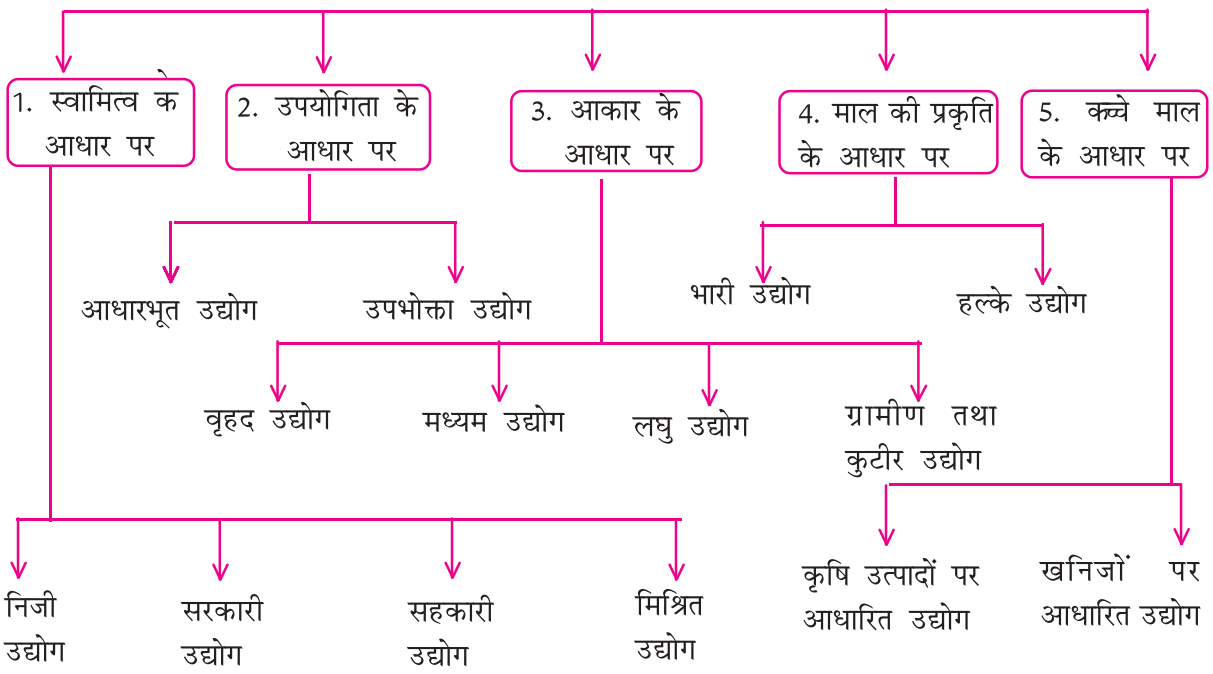

उद्योगों को हम उनके स्वामित्व, उपयोगिता, आकार, माल की प्रकृति एवं कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर विभिन्न भागों में बांट सकते हैं।

इस अध्याय में हम आकार के आधार पर उद्योगों की स्थिति पर चर्चा करेंगे। आकार के आधार पर अर्थात् पूंजी निवेश की मात्रा के आधार पर उद्योगों को तीन भागों में बांट सकते हैं। 1. वृहद उद्योग, 2. लघु उद्योग 3. कुटीर उद्योग।

वृहद उद्योग : जिन औद्योगिक इकाईयों में प्लाण्ट एवं मशीनरी में दस करोड़ रुपये से अधिक तक की पूँजी लगी होती है वे इकाईयाँ वृहद् औद्योगिक इकाईयों की श्रेणी में आती हैं। उदाहरणार्थ टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी

जिन औद्योगिक इकाईयों में प्लांट एवं मशीनरी में पाँच से दस करोड़ रुपये तक की पूँजी लगी होती है वे औद्योगिक इकाईयाँ **मध्यम उद्योगों** की श्रेणी में आती हैं। सेवा क्षेत्र वाली इकाईयों के लिए यह सीमा 5 करोड़ रुपये तक है। उदाहरणार्थ– चमड़ा उद्योग, रेशम उद्योग।

लघु उद्योग : लघु उद्योग की श्रेणी में वे समस्त औद्योगिक इकाईयाँ सम्मिलित की जाती हैं जिनमें प्लाण्ट व मशीनरी में पांच करोड़ रूपये तक की पूँजी लगी है। सेवा क्षेत्र की इकाईयों के लिये यह सीमा 2 करोड़ रूपये तक रखी गयी है। उदाहरणार्थ – लाख उद्योग, काँच उद्योग।

जिन औद्योगिक इकाईयों में प्लाण्ट व मशीनरी में 25 लाख रूपये तक की पूँजी लगी हो, उन्हें **अति लघु उद्योग** की श्रेणी में रखा जाता है। सेवा क्षेत्र की औद्योगिक इकाईयों के लिये यह सीमा 10 लाख रूपये तक है।

कुटीर उद्योग : कुटीर उद्योगों से आशय उन इकाईयों से है जो पूर्णतया परिवार के सदस्यों की सहायता से पूर्ण या अंशकालीन व्यवसाय के रूप में चलाये जाते हैं। इनमें पूँजी निवेश नाममात्र का होता है तथा उत्पादन प्राय: हाथ से ही होता है। उदाहरणार्थ – बाँस की टोकरी बनाना, हाथी दांत की कारीगरी आदि।

ग्राम उद्योग : कुटीर उद्योग ग्राम और नगर दोनों स्थानों पर चलाये जाते हैं, लेकिन जो कुटीर उद्योग सिर्फ ग्रामों में चलाये जाते हैं, उन्हें 'ग्राम उद्योग' के नाम से जाना जाता है। उदाहरणार्थ – हाथकरघा, खादी उद्योग, रेशम उद्योग।

17.3 भारत में उद्योगों की स्थिति

भारत में वृहद् उद्योग

सूती वस्त्र उद्योग : यह उद्योग भारत का सबसे प्राचीन और प्रमुख उद्योग है। देश की प्रथम सूती कपड़ा मिल सन् 1818 में कोलकाता में स्थापित की गई थी। यह उद्योग भारत का सबसे बड़ा एवं व्यापक उद्योग है। देश के औद्योगिक उत्पादन में इसका योगदान 14 प्रतिशत है, जबकि देश की कुल निर्यात आय में इसका हिस्सा 19 प्रतिशत है। आयात में इसका हिस्सा 3 प्रतिशत है। देश की सूती कपड़ा मिलें मुख्य रूप से महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात में हैं।

इस उद्योग में लगभग 5,000 करोड़ रूपये की पूँजी लगी है। यह उद्योग लगभग 9 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान कर रहा है। सरकार ने कपड़ा आदेश (विकास एवं विनिमय) 1993 के माध्यम से कपड़ा उद्योग को लाइसेन्स मुक्त कर दिया है।

लोह तथा इस्पात उद्योग : भारत लोह व इस्पात उद्योग के लिये अति प्राचीन काल से प्रसिद्ध रहा है। आधुनिक ढंग से लोहा बनाने का प्रथम प्रयास सन् 1830 में किया गया जो असफल रहा। इसके पश्चात् इस दिशा में सतत् प्रयास किये जाते रहे। सर्वप्रथम जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर में इस्पात कारखाने की स्थापना की। भारत में कुल 10 कारखाने हैं जिसमें से 9 सार्वजनिक क्षेत्र में एवं केवल 1 निजी क्षेत्र में (टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, जमशेदपुर, पश्चिम बंगाल) में है। सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने- भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, विशाखापट्टनम एवं सलेम हैं।

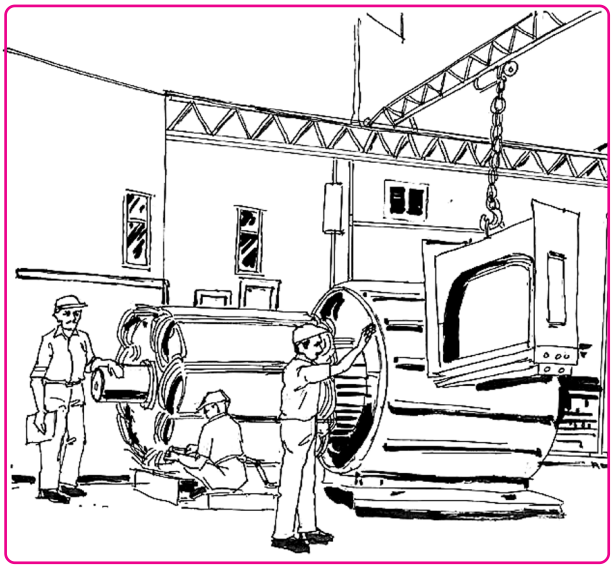

इस समय देश में 196 लघु इस्पात संयंत्र हैं। इनमें से 179 इकाईयां चालू हैं तथा शेष बन्द हैं। वर्तमान में इस उद्योग में 90,000 करोड़ रूपये की पूँजी लगी है तथा इसमें 5 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त है। सन् 1991 में इस उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया।

जूट उद्योग : जूट के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। विश्व के कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत जूट भारत में पैदा होता है। जूट निर्मित वस्तुओं के निर्यात में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। जूट के बोरे, टाट, सुतली, एवं साजो-सामान की अनेक वस्तुयें बनाई जाती हैं। भारत में जूट उद्योग सन् 1855 में प्रारम्भ हुआ।

भारत में जूट की 85 प्रतिशत मिलें **पश्चिम बंगाल** में तथा शेष 15 प्रतिशत **उत्तरप्रदेश, आंध्रप्रदेश, असम तथा उड़ीसा** में हैं। यह उद्योग अपने कुल उत्पादन का 62 प्रतिशत जूट के बोरे के रूप में 20 प्रतिशत टाट के रूप में तथा शेष 18 प्रतिशत अन्य वस्तुओं के रूप में निर्मित करता है।

इस समय में देश में 73 जूट मिल संचालित हैं। इस उद्योग में लगभग 300 करोड़ का निवेश किया हुआ है तथा 2.61 लाख व्यक्तियों को इसमें रोजगार प्राप्त है।

चीनी उद्योग : चीनी उद्योग देश का प्रमुख उद्योग है। यह भारत का प्राचीन उद्योग है। इसका व्यवस्थित विकास 1921 में हुआ, जब इसे सरकार द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया इसलिये इसे 'संरक्षण का शिशु' कहा जाता है। देश में चीनी उत्पादन में उत्तरप्रदेश एवं महाराष्ट्र का महत्वपूर्ण स्थान है।

वर्तमान में चीनी उत्पादन में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। 1950-51 में 138 चीनी मिलें थीं, जो वर्तमान में बढ़कर 566 हो गयी हैं। वर्ष 1998 में इस उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया।

सीमेन्ट उद्योग : भारत में सीमेन्ट उद्योग का प्रारंभ 1912-14 के बीच गुजरात के पोरबंदर व मध्यप्रदेश के कटनी व राजस्थान के लाखेरी में सीमेन्ट का उत्पादन प्रारंभ किया गया।

वर्तमान में देश में 128 बड़े सीमेन्ट कारखाने हैं जिनकी उत्पादन क्षमता 15,209 करोड़ टन है। इसके अलावा देश में 332 लघु सीमेन्ट कारखाने हैं। जिनकी उत्पादन क्षमता 111 लाख टन है। इस उद्योग में लगभग 800 करोड़ रूपये की पूंजी लगी है, एवं लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त है। वर्तमान समय में भारत,

चीन, रूस, जापान, और अमेरिका के बाद विश्व का पांचवाँ बड़ा सीमेण्ट उत्पादक राष्ट्र है। 1991 में इसे लाइसेन्स मुक्त कर दिया गया। नीतिगत सुधारों को लागू करने के बाद सीमेन्ट उद्योग ने उत्पादन क्षमता, उत्पादन एवं प्रसंस्करण टेक्नॉलॉजी दोनों ही में तेजी से कदम बढ़ाये हैं।

सूचना एवं प्रौद्योगिकी : सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग से तात्पर्य उस उद्योग से है, जिसमें कम्प्यूटर और उसके सहायक उपकरणों की सहायता से ज्ञान का प्रसार किया जाता है। इसके अंतर्गत कम्प्यूटर, संचार, प्रौद्योगिकी और संबंधित साफ्टवेयर को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत उस सम्पूर्ण व्यवस्था को शामिल किया जाता है, जिसके द्वारा संचार माध्यम और उपकरणों की सहायता से सूचना पहुँचाई जाती है। यह ज्ञान आधारित उद्योग है।

भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का विकास हाल ही में हुआ है, परंतु यह भारत में तेजी से विकसित हो रहा है, परंतु विकसित देशों की बराबरी करने के लिये अभी काफी प्रयासों की आवश्यकता है। भारत में इस उद्योग का विकास 1994 की अंतर्राष्ट्रीय संधि के पश्चात हुआ। इस उद्योग द्वारा 1994-95 में 6345 करोड़ रूपये की आय प्राप्त हुई जो 2002-03 में बढ़कर 79,337 करोड़ रूपये हो गयी। इससे ज्ञात होता है कि यह उद्योग भारत का सबसे तेज गति से बढ़ता हुआ उद्योग है।

भारत में लघु उद्योग

कागज उद्योग : भारत में हाथ से कागज बनाने की कला का विकास प्राचीन समय से विकसित है। आधुनिक ढंग का पहला कारखाना 1870 में कोलकाता के निकट बाली नामक स्थान पर लगाया गया। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र में कागज के कई कारखाने हैं जिनमें प्रमुख है- नेशनल न्यूज प्रिण्ट एण्ड पेपर मिल लिमिटेड (नेपानगर, म.प्र.) तथा सिक्योरिटी पेपर मिल (होशंगाबाद, म.प्र.)। इस समय देश में कागज कारखानों की संख्या लगभग 515 है। देश में कागज का उत्पादन लघु, मध्यम एवं वृहद सभी प्रकार की इकाईयों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में कुल उत्पादन में लघु और मध्यम इकाईयों का योगदान 50 प्रतिशत है। देश में इस उद्योग में लगभग 15 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त है। विश्व में कागज उत्पादन में भारत का स्थान 20वां है।

भारत में कागज के प्रमुख उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, बिहार, तथा केरल हैं।

चमड़ा उद्योग : यह उद्योग भारत के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। यह एक पारम्परिक उद्योग है। चमड़े से कई प्रकार की वस्तुयें जैसे कोट, जर्सी, पर्स, बटुए, थैले, खेल का सामान, खिलौने, कनटोप, बेल्ट, दस्ताने, जूते व चप्पल आदि बनाये जाते हैं। देश में चमड़े की वस्तुओं का सर्वाधिक उत्पादन तमिलनाडु, कोलकाता, कानपुर, मुम्बई, औरंगाबाद, कोल्हापुर, देवास, जालंधर और आगरा में होता है। चमड़े की वस्तुओं के उत्पादन का 75 प्रतिशत भाग लघु और कुटीर उद्योगों द्वारा उत्पादित किया जाता है।

भारत में चमड़ा और चमड़े से बने उत्पाद देश के सर्वाधिक निर्यात वाले दस उत्पादों की सूची में शामिल है। वर्ष 2003-04 के दौरान देश के चमड़ा उद्योग द्वारा 2.1 अरब अमेरिकी डालर की निर्यात आय प्राप्त की गई। चमड़ा उत्पादन क्षेत्र में ज्यादातर अल्पसंख्यक और गरीब लोगों को रोजगार प्राप्त है। रोजगार प्राप्त व्यक्तियों में 30 प्रतिशत महिलायें हैं। अनुमान है कि विश्व के चमड़े की कुल आपूर्ति का 10 प्रतिशत चमड़ा भारत में तैयार होता है।

भारत में कुटीर उद्योग

काँच उद्योग : काँच उद्योग भारत का प्राचीन उद्योग है, किन्तु देश में आधुनिक ढंग से विकसित काँच

उद्योग की शुरूआत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही संभव हो सकी। वर्तमान में इस उद्योग में आधुनिक एवं नवीनतम तकनीकों से काँच का उत्पादन किया जा रहा है। देश में इस समय काँच के 56 बड़े कारखानों में से 15 ऐसे आधुनिक कारखाने हैं, जो उत्तम किस्म के काँच का सामान पूर्णत: मशीनों की सहायता से करते हैं।

कुटीर उद्योग के रूप में यह उद्योग प्रमुख रूप से फिरोजाबाद व वेलगांव में केन्द्रित है। फिरोजाबाद मे काँच के 225 से भी अधिक छोटे-बड़े कारखाने हैं जहाँ काँच की विभिन्न प्रकार की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। ऐटा, शिकोहाबाद, फतेहाबाद व हाथरस में भी यह उद्योग कुटीर उद्योग के रूप में संचालित है। जबकि आधुनिक उद्योग के रूप में यह **उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब, मध्यप्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, व उड़ीसा** में केन्द्रित है। देश में काँच बनाने के सर्वाधिक कारखाने **पश्चिम बंगाल** में हैं।

भारत में निर्मित काँच से बनी वस्तुओं का निर्यात पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, कुवैत, ईरान, ईराक, सऊदी अरब, बर्मा व मलेशिया आदि देशों को किया जाता है।

रेशम उद्योग : आदिकाल से ही रेशम उद्योग भारत का प्रमुख उद्योग रहा है। वर्तमान में विश्व में रेशम उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। विश्व के कुल उत्पादन का 17 प्रतिशत रेशम भारत में उत्पन्न होता है।

भारत में असली रेशम उत्पादन के चार प्रमुख क्षेत्र हैं (1) कश्मीर घाटी (2) पूर्वी कर्नाटक व तमिलनाडु के पठारी व पहाड़ी क्षेत्र (3) पश्चिमी बंगाल का हुगली क्षेत्र (4) असम का पर्वतीय भू-भाग।

इस उद्योग में 58 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त है। इस उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये सन् 1949 में केन्द्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना की गई।

लाख उद्योग : भारत लाख का प्रमुख उत्पादक देश है। सन् 1950 से पहले केवल भारत में ही लाख साफ की जाती थी, परन्तु अब थाईलैण्ड में भी यह काम होता है। इसका भारतीय लाख उद्योग पर प्रभाव पड़ा है। पहले विश्व की 85 प्रतिशत लाख भारत तैयार करता था, जो वर्तमान में घटकर 50 प्रतिशत रह गया है।

भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन **छोटा नागपुर पठार** में होता है। यहां देश का 50 प्रतिशत उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त **छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात व उत्तरप्रदेश का मिर्जापुर** जिला लाख के प्रमुख उत्पादक केन्द्र हैं।

सन् 1969-70 में देश में लाख का उत्पादन 5,740 टन था, जो वर्ष 2000-2001 में 80000 टन हो गया।

भारत की लाख के प्रमुख ग्राहक चीन, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन हैं। इसके अलावा जर्मनी, ब्राजील, इटली फ्रांस तथा जापान भी महत्वपूर्ण ग्राहक हैं। इस उद्योग से देश में लगभग 10,000 लोगों को रोजगार प्राप्त है। साथ ही 60 से 70 लाख जनजातीय लोग, लाख के कीड़े पालने व उससे रस निकालने का कार्य करते हैं।

17.4 लघु एवं कुटीर उद्योगों का महत्व

भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उद्योगों का महत्व बहुत अधिक है। ये उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के अनुकूल है। इनमें कम पूंजी से उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं और मानवीय श्रम की आवश्यकता अधिक होती है। भारत में जनसंख्या अधिक होने के कारण मानव श्रम अधिक है, और गरीबी होने के कारण पूंजी की भी कमी होती है। इसी कारण ये भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। यह निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है-

1. **ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अनुकूल :** भारत की लगभग 58.4 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, लेकिन कृषकों को पूरे वर्ष भर कार्य नहीं मिल पाता है। अत: लघु उद्योग उनके लिए महत्वपूर्ण है

और हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी अनुकूल हैं।

2. **बेरोजगारी में कमी :** ये लघु उद्योग कम पूंजी निवेश केद्वारा अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करके बेरोजगारी दूर करते हैं।

3. **आय की विषमता को दूर करने में सहायक:** लघु उद्योगों का स्वामित्व लाखों व्यक्तियों व परिवारों के हाथ में होता है जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक शक्ति का केन्द्रीकरण नहीं हो पाता है तथा आय के समान वितरण में भी सहायता मिलती है।

4. **व्यक्तिगत कला का विकास:** लघु उद्योग व्यक्तिगत कला का विकास करने में सहायक होते हैं।

5. **कृषि पर जनसंख्या के दबाव में कमी:** भारत में कृषि पर पहले से ही जनसंख्या का बड़ा भाग आश्रित है, और बढ़ती हुई जनसंख्या कृषि पर और दबाव डालती है। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों का विकास कर दिया जाता है तो कृषि पर जनसंख्या का भार कम हो जायेगा जो कि देश हित में होगा।

6. **औद्योगिक विकेन्द्रीकरण में सहायक:** लघु उद्योगों से देश में उद्योगों के विकेन्द्रीकरण में सहायता मिलती है। बड़े उद्योग तो कुछ विशेष बातों के कारण एक ही स्थान पर केन्द्रित हो जाते हैं, लेकिन लघु उद्योग तो गाँवों व कस्बों में होते हैं।

7. **कम तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता:** लघु उद्योगों की स्थापना में कम पूंजी के साथ-साथ कम तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। कर्मचारियों को कम प्रशिक्षण देकर भी काम चलाया जा सकता है। इस प्रकार यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सर्वोत्तम है।

8. **शीघ्र उत्पादन उद्योग:** इन उद्योगों की स्थापना के कुछ समय बाद ही उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है इसीलिए उनको शीघ्र उत्पादन उद्योग कहते हैं। भारत में वस्तुओं की सामान्य कमी बनी रहती है जिसको दूर करने में यह अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

9. **विदेशी मुद्रा की प्राप्ति:** लघु उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं का निर्यात बढ़ रहा है जो देश को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सहायता दे रहा है। वर्तमान में लघु उद्योगों की वस्तुओं का देश के कुल निर्यात में 35 प्रतिशत हिस्सा है।

10. **आयात पर कम निर्भरता:** बड़े उद्योग स्थापित करने में कभी, तकनीक के लिए, तो कभी मशीनों के लिए, तो कभी कच्चे माल के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है और उनको आयात करना पड़ता है। लघु उद्योगों में ऐसी कोई बात नहीं है न तो मशीनें आयात करनी पड़ती हैं और न तकनीक और न कच्चा माल। इस प्रकार आयात पर निर्भरता कम हो जाती है।

11. **बड़े उद्योगों के लिए सहायक या पूरक:** लघु उद्योग व बड़े उद्योगों के लिए सहायक या पूरक के रूप में कार्य कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अर्ध-निर्मित माल लघु उद्योग बना सकते हैं, एवं बड़े उद्योग निर्मित माल के रूप में उनका उपयोग कर सकते हैं।

12. **स्थानीय साधनों का प्रयोग:** लघु उद्योग स्थानीय साधनों का उपयोग करते हैं। ये उद्योग ग्रामीणों व छोटे व्यक्तियों को उद्यमी बनाने तथा ग्रामीण बचतों को विनियोजित करने में सहायक होते हैं।

भारत में लघु उद्योगों का योगदान कुल राष्ट्रीय उत्पादन में 10 प्रतिशत, कुल औद्योगिक उत्पादन में 39 प्रतिशत, रोजगार में 32 प्रतिशत व देश के निर्यात में 35 प्रतिशत है। लघु उद्योगों के महत्व के कारण ही इन्हें औद्योगिक नीतियों में मुख्य स्थान दिया गया है। लघु उद्योगों के लिए 590 वस्तुओं का उत्पादन सुरक्षित है।

17.5 लघु उद्योगों के विकास के लिए किए गए सरकारी प्रयास

1. **बोर्डों एवं निगमों की स्थापना-** लघु उद्योगों को बढ़ावा देने और उनके विकास के लिये सरकार ने समय-समय पर विभिन्न बोर्डों एवं निगमों की स्थापना की है, जैसे- अखिल भारतीय कुटीर उद्योग बोर्ड, खादी एवं ग्रामोद्योग मण्डल, अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड, लघु उद्योग बोर्ड, नारियल जटा बोर्ड, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, भारतीय दस्तकारी विकास निगम आदि।

2. **भारतीय लघु उद्योग परिषद की स्थापना-** इस परिषद में लघु उद्योग विकास निगम, राष्ट्रीयकृत बैंक, प्रांतीय वित्त निगम व अन्य वाणिज्य बैंक सदस्य हैं।

3. **वित्तीय सहायता-** लघु उद्योगों को निम्न संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक आफ इंडिया, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, राज्य वित्त निगम, सहकारी बैंक, व्यापारिक बैंक व राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास बैंकों के द्वारा लघु उद्योगों को ऋण सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। राज्य सरकारें भी सरकारी सहायता उद्योग अधिनियम के अंतर्गत अपने-अपने क्षेत्रों में दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती हैं।

4. **तकनीकी सहायता-** लघु उद्योगों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना की गयी है। इन सेवाओं के अंतर्गत भारतीयों को विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजा जाता है तथा विदेशी विशेषज्ञों को भी भारत में प्रशिक्षण देने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

5. **करों में छूट-** लघु उद्योगों को करों में छूट दी जाती है। इनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर उत्पादन कर या इसी प्रकार के अन्य कर नहीं लगाये जाते हैं और यदि कहीं उन करों को लगाना आवश्यक होता है तो केवल नाममात्र के लिए ही लगाये जाते हैं। करों में छूट देने के अतिरिक्त परिवहन व्ययों में भी इनको रियायत दी जाती है।

6. **विपणन सुविधाएँ-** लघु उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं के विपणन में सरकार द्वारा भारी सहायता दी जाती है। केन्द्रीय व प्रांतीय सरकारों तथा विशिष्ट निगमों द्वारा लघु उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं की बिक्री के लिए स्थान-स्थान पर एम्पोरियम या शोरूम खोले जाते हैं। इसके साथ ही प्रान्तीय सरकारों की सहायता से बड़ी-बड़ी विपणन समितियाँ व संघ भी बनाये गये हैं जो लघु उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं का विक्रय करते हैं।

7. **लाइसेंस में छूट-** लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ वस्तुओं के उत्पादन में लाइसेंस की अनिवार्यता नहीं रखी गई हैं।

8. **सरकारी खरीद में प्राथमिकता-** सरकार द्वारा लघु उद्योगों की वस्तुओं को अपने विभागों के उपयोग के लिए क्रय करने में प्राथमिकता दी जाती है तथा कुछ वस्तुओं का क्रय तो पूर्ण रूप से उद्योगों से ही किया जाता है।

9. **प्रदर्शनियों का आयोजन-** जनता को लघु उद्योगों की वस्तुओं के बारे में जानकारी देने के लिए स्वयं सरकार द्वारा स्थान-स्थान व समय-समय पर प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त ऐसी प्रदर्शनियों को आयोजित करने वालों को भी सहायता प्रदान की जाती है।

10. **अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना-** लघु उद्योगों से संबंधित वस्तुओं के लिए कई अनुसंधान केन्द्र स्थापित किये गये हैं जिनसे उन वस्तुओं के संबंध में अनुसंधान होता है।

11. **राष्ट्रीय समता कोष-** केन्द्रीय सरकार ने एक कोष स्थापित किया है, जिसमें 5 करोड़ रूपये केन्द्र सरकार

द्वारा व 5 करोड़ रूपये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा दिये गये हैं। इस कोष का प्रबंध भारतीय औद्योगिक विकास बैंक करती है, जो छोटे एवं लघु उद्योग को 75 हजार रूपये तक Soft Loan के रूप में Seed Capital के लिए देती है, लेकिन इकाई लघु उद्योग के रूप में उद्योग निदेशालय में पंजीकृत होनी चाहिए।

12. **भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना-** इस बैंक की स्थापना भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सहयोगी संस्था के रूप में की गयी। इसकी पूंजी 450 करोड़ रूपये है तथा इसका मुख्य कार्य लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। इसके कार्यालय विभिन्न राज्यों में खोले गए हैं।

13. **भुगतान में देरी होने पर ब्याज-** भारत सरकार द्वारा एक अध्यादेश जारी करके यह व्यवस्था की गई है कि यदि खरीददार लघु औद्योगिक इकाई से खरीदे गये माल का भुगतान करने में विलम्ब करता है, तो उसे भुगतान में देरी के लिए ब्याज की अदायगी करनी होगी।

14. **लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना-** छोटे व्यापारियों, दस्तकारों, उद्यमियों आदि को सहज साख उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2002-03 से यह योजना लागू की गई है।

15. **लघु उद्योगों को दिये जाने वाले ऋण में सुधार-** लघु उद्योगों को दिये जाने वाले ऋण में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदम निम्नलिखित है:-

- कम्पोजिट ऋण सीमा को 25 लाख रूपये से बढ़ाकर 50 लाख रूपये कर दिया गया है। कम्पोजिट ऋण में संयंत्र व मशीनरी के साथ-साथ कार्यशील पूंजी के लिए भी ऋण दिया जाता है।
- 5 लाख रूपये तक के ऋणों के लिए समानान्तर जमानत की अपेक्षा को समाप्त कर दिया गया है।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने लघु उद्योगों को दिए जाने वाले ऋण के प्रवाह की मॉनिटरिंग के लिए एक समिति गठित की है।

16. **सिले-सिलाए वस्त्रों पर से प्रतिबंध हटाना-** इसमें प्रौद्योगिकी उन्नयन, उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता के प्रति जागरूकता, उत्पादों में विविधता, निर्यातों में वृद्धि और नवीनतम मार्केटिंग संबंधी नीतियों में वृद्धि सहित रोजगार के अवसरों को अधिकतम बढ़ाकर इस क्षेत्र को सहायता प्रदान की जाती है।

17. **एकीकृत ढाँचागत विकास केन्द्रों की स्थापना-** इस योजना के अंतर्गत एक औद्योगिक परिसर में विकसित स्थान, बिजली, पानी, दूर-संचार निकासी व्यवस्था जैसी आधारभूत सुविधाओं के साथ-साथ बैंक, कच्चा माल, भण्डारण, विपणन, प्रौद्योगिकी तथा अन्य बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं।

शब्दावली

कुटीर उद्योग : वह उद्योग जो अंशत: पारिवारिक सदस्यों द्वारा आंशिक अथवा पूर्णकालिक कार्य के रूप में चलाया जाता है।

निजी क्षेत्र : जिसमें आर्थिक संसाधन पर निजी नियंत्रण होता है तथा निजी लाभ के उद्देश्य से ही इनका उपयोग किया जाता है।

विकासशील देश : ऐसा देश जिसकी अर्थव्यवस्था विकसित देशों की तुलना में कम विकसित हो।

अभ्यास

सही विकल्प चुनकर लिखिए :

1. लघु औद्योगिक इकाईयों की अधिकतम विनियोग सीमा है –
   (i) 1 करोड़ रूपये (ii) 5 करोड़ रूपये
   (iii) 3 करोड़ रूपये (iv) 7 करोड़ रूपये
2. विश्व में कुल जूट उत्पादन का भारत में पैदा होता है –
   (i) 25 प्रतिशत (ii) 10 प्रतिशत
   (iii) 150 प्रतिशत (iv) 35 प्रतिशत
3. इनमें से किस का संबंध सूचना प्रौद्योगिकी से है –
   (i) मोटर कार (ii) सुन्दर कपड़े
   (iii) कम्प्यूटर (iv) सोना चांदी

अतिलघुउत्तरीय प्रश्न :

1. भारत से काँच निर्मित वस्तुओं का निर्यात किन देशों को किया जाता हैं?
2. भारत में असली रेशम उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं?
3. भारत में उत्पादित लाख के प्रमुख ग्राहक देश कौन से हैं?
4. कृषि आधारित उद्योग कौन से हैं?
5. देश में स्थापित सीमेण्ट कारखानों की उत्पादन क्षमता कितनी है?
6. भारत में रेशम उत्पादन की दृष्टि से कौन से राज्य महत्वपूर्ण हैं?

लघुउत्तरीय प्रश्न :

1. भारत में विभिन्न उद्योगों को किन-किन आधारों पर वर्गीकृत किया गया है? समझाइए।
2. भारत के प्रमुख कुटीर उद्योगों की स्थिति का विवरण दीजिए।
3. भारत में चर्म उद्योग में किन वस्तुओं का निर्माण होता है?
4. भारत में कागज उद्योग की स्थिति समझाइए।
5. भारत के काँच उद्योग पर टिप्पणी लिखिए।
6. सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग भारत का सबसे तेज बढ़ता हुआ उद्योग है? समझाइए।

दीर्घउत्तरीय प्रश्न :

1. भारत के वृहद उद्योगों की स्थिति का वर्णन कीजिए।
2. लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या प्रयास किए हैं? लिखिए।
3. लघु एवं कुटीर उद्योगों का महत्व लिखिए।
4. टिप्पणी लिखिए –
   क. चमड़ा उद्योग। ख. लोहा इस्पात उद्योग।
   ग. सूती वस्त्र उद्योग। घ. सूचना एवं प्रौद्योगिकी।

❖❖ ★★ ❖❖

अध्याय - 18

भारत में खाद्यान्न सुरक्षा

हम पढ़ेंगे

18.1 खाद्यान्न सुरक्षा से आशय
18.2 खाद्यान्न सुरक्षा की आवश्यकता एवं महत्व
18.3 भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें
18.4 खाद्यान्न सुरक्षा हेतु शासन के प्रयास -
- खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य
- बफर स्टाक
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली

18.5 खाद्यान्न व सहकारिता

18.1 खाद्यान्न सुरक्षा से आशय

रोटी, कपड़ा और मकान जीवन की तीन प्रमुख आवश्यकताएँ हैं। इनमें से पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक खाद्य पदार्थ की उपलब्धता मानव-जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। खाद्यान्न-सुरक्षा का सम्बन्ध मनुष्य की भोजन सम्बन्धी आवश्यकताओं से है। सरल रूप में खाद्यान्न-सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों को पौष्टिक भोजन की उपलब्धता। साथ ही यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति के पास भोजन-व्यवस्था करने के लिये क्रय-शक्ति (पैसा) हो तथा खाद्यान्न उचित मूल्य पर उपलब्ध रहे। विश्व विकास रिपोर्ट 1986 के अनुसार ''खाद्यान्न-सुरक्षा सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए पर्याप्त भोजन की उपलब्धता है।'' खाद्य एवं कृषि संस्थान के अनुसार, ''खाद्यान्न-सुरक्षा सभी व्यक्तियों को सभी समय पर उनके लिए आवश्यक बुनियादी भोजन के लिए भौतिक एवं आर्थिक दोनों रूप में उपलब्धि का आश्वासन है।''

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर खाद्यान्न-सुरक्षा के अन्तर्गत निम्नलिखित बातें सम्मिलित की जाती है-

- देश की समस्त जनसंख्या को खाद्यान्न (भोजन) की उपलब्धता।
- उपलब्ध खाद्यान्न को खरीदने के लिए व्यक्तियों के पास पर्याप्त धन (क्रय शक्ति) होना चाहिये।
- खाद्यान्न उस मूल्य पर उपलब्ध हो जिस पर सभी उसे खरीद सकें।
- खाद्यान्न हर समय उपलब्ध होना चाहिए।
- उपलब्ध खाद्यान्न की किस्म अच्छी होना चाहिए।

सामान्यत: खाद्यान्न सुरक्षा के अन्तर्गत समस्त जनसंख्या को खाद्यान्नों की न्यूनतम मात्रा उपलब्ध कराना माना जाता है, परन्तु एक विकासशील अर्थव्यवस्था में निरन्तर परिवर्तन होने के कारण इसकी निम्न अवस्थायें भी हो सकती है-

1. पर्याप्त मात्रा में अनाज की उपलब्धता।
2. पर्याप्त मात्रा में अनाज और दालों की उपलब्धता।
3. अनाज और दालों के साथ दूध और दूध से बनी वस्तुओं की उपलब्धता।
4. अनाज, दालें, दूध एवं दूध से बनी वस्तुएं, सब्जियाँ, फल, इत्यादि की उपलब्धता।

18.2 खाद्यान्न-सुरक्षा की आवश्यकता एवं महत्व

भारत की वर्तमान स्थिति में खाद्यान्न सुरक्षा का महत्व बहुत अधिक हो गया है। एक ओर तो हमारी

अर्थव्यवस्था विकासशील है, और दूसरी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। अत: खाद्यान्नों की बढ़ती हुई मांगों की पूर्ति के लिए खाद्यान्न सुरक्षा आवश्यक हो गई है। इसके कारणों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं- आंतरिक कारण एवं बाह्य कारण।

1. **आंतरिक कारण-** इनमें वे कारण शामिल हैं जो देश की भीतरी परिस्थितियों से संबंधित है। आंतरिक कारण हैं -

- **जीवन का आधार-** भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है साथ ही जन्मदर भी ऊँची है। अत: लोगों के भरण-पोषण के लिए एवं उन्हें कुपोषण से बचाने के लिए खाद्यान्न सुरक्षा आवश्यक है।
- **मानसून पर निर्भरता-** भारत में अधिकांश फसलें सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर है। जबकि मानसून अनिश्चित एवं अनियमित है। वर्षा का वितरण भी समान नहीं है। अत: कभी भी सूखे एवं अकाल की स्थिति देश में बन जाती है। इस कारण भी खाद्यान्न सुरक्षा आवश्यक है।
- **कम उत्पादकता-** भारत में खाद्यान्न उत्पादकता प्रति हैक्टेयर तथा प्रति श्रमिक दोनों ही दृष्टि से कम है। इस दृष्टि से भी खाद्यान्न सुरक्षा आवश्यक है।
- **प्राकृतिक बाधाएँ-** मानसून की समस्या के अतिरिक्त बाढ़ें, कीड़े-मकोड़े, शीत लहर, मिट्टी के कटाव आदि देश के किसी न किसी भाग में अनाज की फसलों को नष्ट कर देते हैं। अत: खाद्यान्न की समस्या विकराल हो जाती है। सन् 1835 के उड़ीसा के अकाल, 1877 में पंजाब और मध्यप्रदेश, 1943 में बंगाल में पड़े अकाल में लगभग लाखों लोग भूख से मारे गए। प्राकृतिक प्रकोप की स्थिति का सामना करने हेतु खाद्यान्न सुरक्षा अत्यन्त आवश्यक है।
- **निरंतर बढ़ती हुई महंगाई-** खाद्यान्नों की कीमतों में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस समस्या से निपटने के लिए खाद्यान्न सुरक्षा अत्यंत आवश्यक हो जाती है।
- **देश की प्रगति-** खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त किये बिना कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता। इस हेतु खाद्यान्न सुरक्षा आवश्यक होती है।

2. **बाह्य कारण -** बाह्य कारणों के अंतर्गत वे कारण शामिल हैं, जो दूसरे देशों के साथ हमारे देश के संबंधों से जुड़े होते हैं। ये बाह्य कारण निम्नलिखित हैं-

- **विदेशों पर निर्भरता-** खाद्यान्नों की आवश्यकता मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता होती है। अत: इनकी पूर्ति न होने पर देश की सरकार का यह प्राथमिक कर्तव्य हो जाता है, कि वह जनता की इस आवश्यकता की पूर्ति करें। देश में जब इनकी पर्याप्त पूर्ति नहीं हो पाती तो हमें विदेशों पर निर्भर होना पड़ता है, फिर खाद्यान्न मँहगे हो या सस्ते अथवा उनकी गुणवत्ता अच्छी है या न हो हमें खाद्यान्न आयात करना पड़ता है।
- **विदेशी मुद्रा कोष में कमी-** जब हम विदेशों से खाद्यान्न जैसी वस्तुएँ बाहर से मँगाते है तो हमारी विदेशी मुद्रा अनावश्यक रूप से खर्च हो जाती है। खाद्यान्न की पूर्ति हम स्वयं ही कर सकते हैं पर नहीं कर पाते। परिणाम यह होता है कि बहुत जरूरी वस्तुएँ खरीदने हेतु हमारे पास विदेशी मुद्रा नहीं बच पाती है।
- **विदेशी दबाव-** जो देश खाद्यान्नों की पूर्ति करते हैं वे प्रभावशाली हो जाते हैं और फिर अपनी नीतियों को मनवाने का प्रयास करते हैं। ऐसे देश खाद्यान्न का आयात करने वाले देशों पर हावी हो जाते हैं, और आयातक देश विदेश नीति निर्धारण करने में स्वतंत्र नहीं रह जाते हैं। भारत ने 1965-66 और 1966-67 में मानसून की विफलता के कारण भयंकर सूखे का सामना किया तथा

अमेरिका से गेहूँ प्राप्त किया गया। बार-बार के खाद्यान्न-संकटों के दौरान भारत ने यह अनुभव किया कि देश के नागरिकों को भुखमरी से बचाने, विकास करने, स्वाभिमान, सम्मान और संप्रभुता की रक्षा के लिये खाद्य-सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है।

18.3 भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें

भारत की प्रमुख फसलें एवं उनका उत्पादन क्षेत्र

- **चावल-** पश्चिम बंगाल, उत्तरप्रदेश, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा पंजाब, असम।
- **गेंहूँ-** उत्तरप्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तराखण्ड एवं गुजरात।
- **बाजरा-** राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक व मध्यप्रदेश।
- **ज्वार-** मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश ,तेलंगाना।
- **मक्का-** उत्तरप्रदेश, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, पंजाब, बिहार, राजस्थान, गुजरात।
- **चना व दालें-** मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब व कर्नाटक।

भारत एक कृषि प्रधान देश है यहां का मुख्य व्यवसाय कृषि ही है। कृषि भूमि के 75 से 80 प्रतिशत भाग पर खाद्यान्न उगाये जाते हैं। चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, और मक्का यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न हैं। वर्तमान समय में भारत ने खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। भारत में खाद्यान्न पैदावार अलग-अलग समय पर अलग-अलग होती है। अत: समय के अनुसार इन खाद्यान्न फसलों को निम्न भागों में बाँटा जाता है-

1. **खरीफ फसलें :** ये फसलें जुलाई में बोई तथा अक्टूबर में काटी जाती है। इसके अन्तर्गत धान (चावल), ज्वार, बाजरा, मक्का आदि खाद्यान्न फसलें आती हैं।

2. **रबी की फसलें :** ये फसलें अक्टूबर में बोई जाती हैं तथा मार्च के अन्त या अप्रैल में काटी जाती हैं। इसके अन्तर्गत गेहूँ, जौ, चना आदि खाद्यान्न फसलें आती हैं।

भारत में अनेक प्रकार के खाद्यान्न पैदा होते हैं। खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से चीन और अमेरिका के बाद भारत का स्थान आता है। भारत के मुख्य खाद्यान्नों (अनाज) का विवरण निम्नानुसार हैं-

चावल : चावल भारत का मुख्य खाद्यान्न है। भारत में कुल कृषि भूमि के लगभग 25 प्रतिशत भाग पर इसकी खेती की जाती है। चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। विश्व के कुल चावल उत्पादन का 11.4 प्रतिशत चावल भारत में होता है।

भारत में चावल के प्रमुख उत्पादक राज्य क्रमश: **पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्यप्रदेश, बिहार, राजस्थान, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडू, छत्तीसगढ़ तथा असम** हैं। देश में चावल के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हो रही है। देश में चावल के क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों और उन्नत बीजों के प्रयोग के कारण भारी वृद्धि दर्ज की गई है। इस समय देश चावल के उत्पादन में न केवल आत्मनिर्भर हो गया है, बल्कि इसका निर्यात भी करने लगा है।

गेहूँ : भारत में खाद्यानों में चावल के बाद गेहूँ का दूसरा स्थान है। विश्व में भारत गेहूँ उत्पादन की दृष्टि से चीन व संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर व क्षेत्रफल की दृष्टि से पाँचवें स्थान पर है। भारत में मुख्यत: दो प्रकार का गेहूँ उगाया जाता है -

क. **वलगेयर गेहूँ :** यह चमकीला, सुडौल, मुलायम और सफेद होता है। इसे साधारणत: रोटी का गेहूँ कहते हैं।

ख. **मैकरानी गेहूँ :** यह लाल छोटे दाने वाला और कठोर होता है।

देश में गेहूँ के प्रमुख उत्पादक राज्य क्रमश: **उत्तरप्रदेश, पंजाब, बिहार, मध्यप्रदेश, हरियाणा, राजस्थान तथा गुजरात** हैं। भारत गेहूँ के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। यद्यपि चालू वर्ष में संचित स्टॉक में कमी के कारण

भारत गेंहूँ का आयात कर रहा है। 5 लाख टन गेंहूँ का आयात किया जा चुका है।

मोटे अनाज: मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा और मक्का को शामिल किया जाता है।

ज्वार : भारत में ज्वार की खेती प्राचीन काल से हो रही है। यह पशुओं के चारे तथा मनुष्यों के भोजन के रूप में प्रयोग होता है। भारत में यह निर्धनों का भोजन है। विदेशों में इससे स्टार्च तथा ग्लूकोज तैयार किया जाता है। उत्तर भारत में यह खरीफ की फसल है, लेकिन दक्षिण में यह खरीफ एवं रबी दोनों की फसल है। देश के कुल ज्वार उत्पादन का लगभग 87 प्रतिशत भाग **मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्रप्रदेश, तेलंगाना** में होता है।

बाजरा : बाजरा उत्तर भारत की खरीफ फसल है। दक्षिण भारत में यह रबी व खरीफ दोनों की फसल है। राजस्थान, मध्यप्रदेश व गुजरात में इसका प्रयोग खाद्यान्न के रूप में किया जाता है। यह पशुओं को चारे के रूप में भी खिलाया जाता है। विश्व में बाजरा उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है। **राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र,**

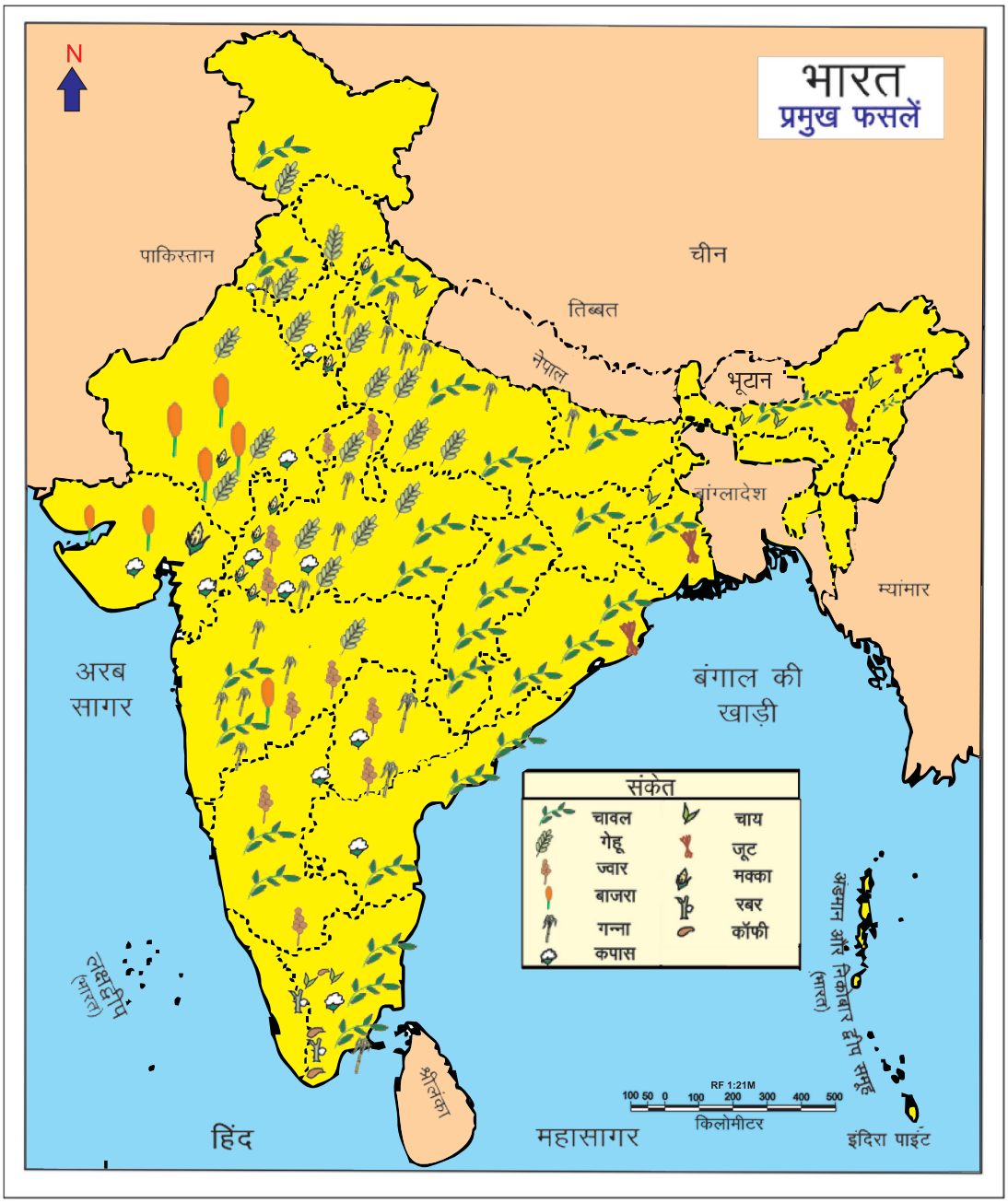

उत्तरप्रदेश, तमिलनाडू, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश व पंजाब प्रमुख बाजरा उत्पादक प्रदेश हैं, देश के कुल उत्पादन का 96 प्रतिशत भाग यहां उगाया जाता है।

मक्का : मक्का मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों की उपज है। इसका उपयोग पशुओं के चारे और खाने के लिए किया जाता है। मनुष्य भी मक्के के विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ उपयोग करता है। विदेशों में इससे स्टार्च और ग्लूकोज तैयार किया जाता है। मक्का भारत के लगभग सभी राज्यों में उगाया जाता है, लेकिन प्रमुख रूप से यह उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात व कर्नाटक में उगाया जाता है।

18.4 खाद्यान्न सुरक्षा हेतु शासन के प्रयास

खाद्यान्न सुरक्षा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शासकीय सतर्कता और खाद्यान्न-सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर निर्भर करती है। भारत में प्राकृतिक संकट अथवा किसी अन्य कारण से उत्पन्न होने वाले खाद्यान्न संकट के समय एवं सामान्य परिस्थितियों में गरीबों तथा अन्य लोगों को खाद्यान्न उचित कीमत पर उपलब्ध कराने के लिए **खाद्य-सुरक्षा प्रणाली** का विकास किया गया है। इस व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग निम्नलिखित हैं –

1. **खाद्यान्न वृद्धि के प्रयास :-** खाद्यान्न सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि, देश में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन हो। इस कार्य में हरित क्रांति का योगदान महत्वपूर्ण है। हरित क्रान्ति के अन्तर्गत कृषि का यन्त्रीकरण, उन्नत बीजों का प्रयोग, उर्वरकों का प्रयोग, कीटनाशकों के प्रयोग तथा सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया। साथ ही चकबन्दी और मध्यस्थों के उन्मूलन कार्यक्रम के परिणामस्वरूप आज देश खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्म निर्भर बन गया है।

2. **न्यूनतम समर्थन मूल्य :** कृषि उत्पादों के मूल्यों में उच्चावचन होते रहते हैं। फसल के समय उत्पादन के कारण आपूर्ति अधिक हो जाती है, जिससे मूल्यों में काफी कमी आ जाती है। इस समय निर्धारित सीमा से कम मूल्य होने पर उत्पादकों को अपने उत्पादों की लागत प्राप्त करना भी कठिन हो जाता है। इसलिये सरकार कृषि उपजों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है, जिसके अन्तर्गत जब खाद्यान्नों का बाजार भाव सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य से नीचे चला जाता है, तो सरकार स्वयं घोषित समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न खरीदने लगती है। इससे किसान अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित होते हैं, और सरकार को बफर स्टॉक के लिये खाद्यान्नों की प्राप्ति हो जाती है।

3. **बफर स्टाक :** यदि देश में खाद्यान्न का उत्पादन कम होता है, तो ऐसी संकटकालीन स्थिति का सामना करने के लिए तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न वितरित करने के लिये सरकार द्वारा बनाया खाद्यान्न भण्डार '**बफर स्टाक**' कहलाता है। बफर स्टाक भारतीय खाद्य निगम (F.C.I.) के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज-गेंहूँ और चावल का भण्डार है। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों

में किसानों से गेंहूँ और चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित मूल्य कहा जाता है। उत्पादन हेतु प्रोत्साहन देने के लिए बुआई के पहले ही सरकार इन कीमतों की घोषणा करती है। खरीदे हुए अनाज खाद्य भण्डार में रखे जाते हैं। इससे आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या हल करने में मदद मिलती है। जो भारत की मजबूत खाद्य-सुरक्षा का प्रतीक है।

4. सार्वजनिक अथवा लोक वितरण प्रणाली : सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आशय उस प्रणाली से है, जिसके अन्तर्गत सार्वजनिक रूप से उपभोक्ताओं विशेषकर कमजोर वर्ग के उपभोक्ताओं को निर्धारित कीमतों पर उचित मात्रा में विभिन्न उपभोक्ता वस्तुयें बेची जाती है। इस प्रणाली में विभिन्न वस्तुओं (गेहूँ, चावल, चीनी, आयातित खाद्य तेल, कोयला, मिट्टी का तेल आदि) का विक्रय राशन की दुकान व सहकारी उपभोक्ता भण्डारों के माध्यम से कराया जाता है। इन विक्रेताओं के लिए लाभ की दर निश्चित रहती है तथा इन्हें निश्चित कीमत पर निश्चित मात्रा में वस्तुयें राशन कार्ड धारियों को बेचनी पड़ती हैं, राशन कार्ड तीन प्रकार के होते हैं- बी.पी.एल. कार्ड, ए.पी.एल. कार्ड एवं अंत्योदय कार्ड।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंग

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकान, सहकारी उपभोक्ता भण्डार, नियन्त्रित कपड़े की बिक्री की दुकान, साफ्ट कोक डिपो, सुपर बाजार और मिट्टी के तेल की दुकान को सम्मिलित किया जाता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन केन्द्र तथा राज्य सरकारें मिल कर करती है। केन्द्र द्वारा राज्यों को खाद्यान्न एवं अन्य वस्तुओं का आवंटन किया जाता है एवं इन वस्तुओं का विक्रय मूल्य भी तय किया जाता है। राज्य को केन्द्र द्वारा निर्धारित मूल्य में परिवहन व्यय आदि सम्मिलित करने का अधिकार है। इस प्रणाली के अन्तर्गत प्राप्त वस्तुओं का परिवहन, संग्रहण, वितरण व निरीक्षण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य सरकारें चाहें तो अन्य वस्तुएं भी जिन्हें वे खरीद सकती है सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सम्मिलित कर सकती हैं।

राशन कार्ड

- गरीबी रेखा के नीचे के लोगों के लिए B.P.L.कार्ड ।
- गरीबी रेखा से ऊपर वाले लोगों के लिए A.P.L.कार्ड।
- गरीबों में भी गरीब लोगों के लिए अंत्योदय कार्ड ।

भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से किये जा रहे खद्यान्न वितरण में लगातार वृद्धि हो रही है, 1951-52 में जो खाद्यान्न वितरण 4.8 मिलियन टन था वह 2003-04 में बढ़कर 71.5 मिलियन टन हो गया।

तालिका से स्पष्ट है कि भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका है।

नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली : जनवरी 1992 से पूर्व में चल रही सार्वजनिक वितरण प्रणाली को संशोधित करके देश के दुर्गम जनजातीय, पिछड़े, सूखाग्रस्त एवं पर्वतीय क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नवीनीकृत सार्वजनिक प्रणाली लागू की गई। इसकी विशेषताएँ निम्नलिखित हैं–

- सूखा प्रवृत क्षेत्रों, रेगिस्तानी क्षेत्रों, पर्वतीय क्षेत्रों तथा शहरी गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों को प्राथमिकता दी गयी है।
- इस प्रणाली के अंतर्गत अपेक्षाकृत कम कीमत और अधिक मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में केन्द्रीय निर्गम मूल्य

वितरण	निर्गम मूल्य प्रति किलो
गेहूँ	**(रूपये)**
● गरीबी की रेखा से नीचे	4.15
● गरीबी की रेखा से ऊपर	6.10
चावल	
● गरीबी की रेखा से नीचे	5.65
● गरीबी की रेखा से ऊपर	8.30

- छः प्रमुख आवश्यक वस्तुओं के अतिरिक्त चाय, साबुन, दाल, आयोडीन नमक जैसी वस्तुओं को इसमें शामिल किया गया है।
- इस योजना में शामिल विकास खण्डों में **रोजगार आश्वासन योजना** आरम्भ की गई, जिसमें 18 से 60 वर्ष के अकुशल व्यक्तियों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जा सके जिससे लोग आय प्राप्त करके नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न खरीद सकें।

लक्ष्य आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली : गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को खाद्यान्न की न्यूनतम मात्रा सुनिश्चित रूप से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारम्भ की गई। इस प्रणाली में गरीबों को विशेष राशन कार्ड जारी करके, विशेष कम कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। यह विश्व की सबसे बड़ी खाद्य-सुरक्षा योजना है। इस प्रणाली में 1 अप्रैल 2006 से प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रतिमाह उपलब्ध कराया जा रहा है।

इसी प्रकार अत्यंत निर्धन परिवारों को **अन्त्योदय अन्न योजना** के अन्तर्गत 25 किलोग्राम खाद्यान्न गेहूँ 2 रुपये प्रति किलोग्राम तथा चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। इस प्रणाली में द्विस्तरीय मूल्य प्रणाली अपनाई गयी है। जिसमें गरीबी की रेखा से नीचे (BPL) और गरीबी की रेखा के ऊपर (APL) के लोगों के लिये गेहूँ और चावल का अलग-अलग निर्गमित मूल्य निर्धारित है (देखें तालिका)।

इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा समन्वित राज्य विकास कार्यक्रम, शाला में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए मध्याह्न भोजन योजना, खाद्यान्न अन्त्योदय अन्न योजना तथा काम के बदले अनाज आदि योजनाओं के माध्यम से खाद्य-सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है।

18.5 खाद्य-सुरक्षा और सहकारिता :

सहकारिता ऐसे व्यक्तियों का ऐच्छिक संगठन है, जो समानता, स्व सहायता तथा प्रजातांत्रिक व्यवस्था के आधार पर सामूहिक हित के लिए कार्य करता है। इसके अन्तर्गत जो कार्य आर्थिक कमजोरी के कारण अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा नहीं किये जा सकते, वे सहकारिता द्वारा आसानी से किये जा सकते हैं। सहकारिता का उद्देश्य एक-दूसरे का शोषण रोकने की भावना रखते हुए परस्पर सहयोग से मिल-जुलकर कार्य करना है।

भारत में खाद्य-सुरक्षा उपलब्ध कराने में सहकारिता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कार्य उपभोक्ता सहकारी समितियों द्वारा निर्धन लोगों के लिए खाद्यान्न बिक्री हेतु राशन की दुकान खोलकर किया जाता है। भारत में उपभोक्ता सहकारिता के राष्ट्रीय, राज्य, जिलों व ग्राम स्तर पर अलग-अलग व्यवस्थाएँ हैं। जिसमें राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ मर्यादित, राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। 30 राज्य सहकारी उपभोक्ता संगठन इस परिसंघ के साथ जुड़े हैं। केन्द्रीय या थोक स्तर पर 794 उपभोक्ता सहकारी स्टोर हैं। प्राथमिक स्तर पर 24,078 प्राथमिक स्टोर हैं। ग्रामीण क्षेत्र में करीब 44,418 ग्राम स्तरीय प्राथमिक कृषि की ऋण समितियाँ अपने सामान्य व्यापार के साथ-साथ आवश्यक वस्तुओं के वितरण में लगी है। शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों में करीब 37,226 खुदरा बिक्री केन्द्रों का संचालन उपभोक्ता सहकारी समितियों द्वारा किया जा रहा है ताकि उपभोक्ताओं की जरूरतें पूरी की जा सकें।

सरकार ने जुलाई 2000 में 'सर्वप्रिय' नाम की एक योजना प्रारम्भ की। इस योजना में रोजमर्रा इस्तेमाल की चुनी हुई वस्तुओं का वितरण मौजूदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खुदरा बिक्री केन्द्रों और राज्य उपभोक्ता सहकारी परिसंघ के खुदरा बिक्री केन्द्रों, राज्य नागरिक आपूर्ति निगमों और राज्यों की उपभोक्ता सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाता है।

सरकार भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को **राशन की दुकान** के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। राशन की दुकान से, जिसे 'उचित मूल्य वाली दुकान' भी कहा जाता है, चीनी, खाद्यान्न मिट्टी का तेल आदि का वितरण राशन-कार्ड धारियों को होता है। राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार प्रतिमाह इनकी एक निश्चित मात्रा निकटवर्तीय राशन की दुकान से खरीद सकता है। राशन की दुकान पर सभी वस्तुयें बाजार कीमत से कम कीमत पर बेची जाती है। आज देश भर में लगभग 4.6 लाख राशन की दुकानें हैं।

शब्दावली

सब्सिडी (सहायिकी/अनुदान) : सब्सिडी वह भुगतान है जो सरकार द्वारा किसी उत्पादक को बाजार कीमत की अनुपूर्ति के लिए किया जाता है।

बफर स्टॉक : आपात स्थिति में आवश्यक वस्तु की कमी को पूरा करने के लिए वस्तु का स्टॉक तैयार करना बफर स्टॉक कहलाता है।

हरित क्रांति : कृषि की उत्पादन तकनीक को सुधारने एवं कृषि उत्पादन में वृद्धि करने की प्रक्रिया को हरित क्रांति का नाम दिया गया है।

समर्थन मूल्य : कृषि उपज का समर्थन मूल्य घोषित करना अर्थात किसानों को उनकी उपज के न्यूनतम मूल्य की गारन्टी देना।

अभ्यास

सही विकल्प चुनकर लिखिए :

1. खरीफ की फसल है–
   (i) गेहूँ (ii) चना (ii) धान (iv) जौ
2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंग है–
   (i) जूते की दुकान (ii) सोने-चाँदी की दुकान
   (iii) राशन की दुकान (iv) किराने की दुकान
3. लक्ष्य आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सम्बन्ध है–
   (i) महिलाओं से (ii) पुरुषों से
   (iii) निर्धनता की रेखा के नीचे रहने वालों से (iv) उपरोक्त में से किसी से नहीं
4. अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत कितना खाद्यान्न दिया जाता है–
   (i) 5 किलोग्राम (ii) 10 किलोग्राम
   (iii) 15 किलोग्राम (iv) 25 किलोग्राम

अति लघु उत्तरीय प्रश्न :

1. मोटे अनाज के नाम लिखिए।
2. भारत को किन वर्षों में अकाल का सामना करना पड़ा था?
3. रोजगार आश्वासन योजना क्या है?
4. समर्थन मूल्य किसे कहते हैं?
5. खाद्य-सुरक्षा हेतु संचालित किन्हीं दो योजनाओं के नाम लिखिए।

लघुउत्तरीय प्रश्न :

1. खाद्य-सुरक्षा के मुख्य घटक कौन-कौन से हैं, लिखिए।
2. बफर-स्टाक क्या है? समझाइए।
3. नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? समझाइए।
4. लक्ष्य आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समझाइए।
5. खाद्य-सुरक्षा में सहकारिता की क्या भूमिका है? समझाइए।
6. खरीफ और रबी फसलों में क्या अंतर है? लिखिए।

दीर्घउत्तरीय प्रश्न :

1. भारत में मुख्य खाद्यान्न कौन से हैं? विवरण कीजिए।
2. खाद्य-सुरक्षा क्या है एवं खाद्य-सुरक्षा क्यों आवश्यक है? समझाइए।
3. सरकार गरीबों को किस प्रकार खाद्य-सुरक्षा प्रदान करती है, समझाइये।
4. खाद्यान्न वृद्धि के लिए सरकार ने कौन-कौन से प्रयास किये है?
5. सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है व इसके मुख्य अंग कौन-कौन से हैं लिखिए।
6. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन किस प्रकार किया जाता है? वर्णन कीजिए।

❖❖ ★★ ❖❖